

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गोतमबुधनगर

सेवा में

प्रबन्धक

एन० एम० पब्लिक स्कूल सैनी
सैनी बिसरवा

पत्रांक / मान्यता 1814-1857 1998-99

दिनांक 12-2-99

विषय:- प्राईमरी प्रस्तर की स्टाई / ~~अस्तर~~ मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

कत विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक की भाषणा के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक -12/2/99 के प्रस्ताव संख्या (12/99) के निर्णय के अनुसार कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्टाई / ~~अस्तर~~ प्राईमरी स्तर एवं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जोलाई 98 से मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध

- 1- प्रबन्धीकरण की विनियम वर्णित एक्ट के अन्तर्गत वेतन का सुगतान करना होगा ।
- 2- प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाये ।
- 3- विद्यालय में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाये।
- 4- छात्रों से निधारित त शुल्क लिया जाये ।
- 5- विद्यालय की प्रबन्धक समिति का अनुमोदन कराना अनिवार्य
- 6- आवश्यकतानुसार विज्ञान / हिं / शिक्षण एवं समाज उपयोगी सामाग्री व पुस्तकों की व्यवस्था की जाये।
- 7- जिला विभाग अनुमोदन के निश्चित न किया जाये ।
- 8- विद्यालय की प्रगति 30 जून 99 तक अवगत कराये।

भावदीय

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गोतमबुधनगर

प० स०/ मान्यता 1814-1857 1998-99

दिनांक 12-2-99

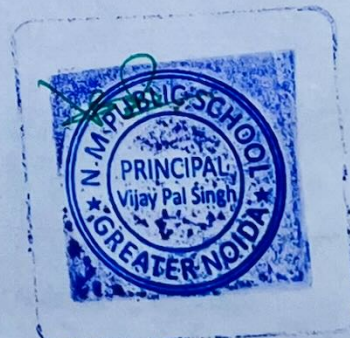
प्रतिनिधि निम्नांकित को आवश्यक कार्य तही हेतु प्रेषित

- 1- समाज कल्याण अधिकारी गोतमबुधनगर
- 2- सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी गोतमबुधनगर

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गोतमबुधनगर

[Signature]

Manager
R L Vidya Samit
Vijay Saini, Post- Baldevra
Gr. Noida, G.B. Nagar



- 11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के गच्चों एवं आश्रितों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
- 12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।
- 13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
- 14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों का पालन करेगा।
- 15) विभागीय आदेशों/नियमों की अयहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं यह 10 खयायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्माण कराये।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ 16/3/05

पूरां० शि.स./

/2004-05 — दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र, ।
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नौएडा

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

Ckg/jhr/m

Manager
R L Vidya Saini,
V.M. Saini, Post- Bag, a
Gr. Noida, G.B. Nagar

